Email
Time 6:07
Date 12-8-25

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक **12-08-2025**

क्रमांक**F-1/1/4/0027/2025-Sec-1-10(FOR)::** राज्य शासन के आदेश क्रमांक **1/1/4/0018/2025-sec-1-10** दिनांक **17/06/2025** द्वारा श्रीमती पुष्पा सिंह, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी बांधवगढ़, टाईगर रिजर्व उमरिया से परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली एवं श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली से परिक्षेत्र अधिकारी संजय टाईगर रिजर्व सीधी में पदस्थ किया गया है।

2/ उक्त आदेश के विरूद्ध श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका **W.P./22182/2025** दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **27.06.2025** को निम्नांकित निर्णय पारित किया गया:-

In view of the aforesaid, without expressing any view on the merits of the case, the present petition stands disposed of with direction to the petitioner to prefer a fresh representation before respondent No.2, and while taking decision on representation, opportunity of hearing be extended to petitioner as well as respondent No.3 within further period of three weeks, if the representation in terms of this order is not submitted within seven days from today, this order shall lose its efficacy automatically.

For a period of thirty days or till the decision on the representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue at the present place of posting i.e. Range Officer is working in Burhanpur to Range Officer, Mada, District Singrauli (M.P.)

3/ उक्त आदेश के पालन में श्रीमती पुष्पा सिंह, वनक्षेत्रपाल द्वारा दिनांक **7/7/2025** को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि शासन आदेश दिनांक **17/06/2025** के पालन में क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के पत्र दिनांक **23.06.2025** से भारमुक्त होकर उनके द्वारा कार्यालय वनमंडल सिंगरौली में दिनांक **24.06.2025** को उपस्थिति दर्ज करा दी गई है।

4/ श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली द्वारा दिनांक **01/07/2025** को शासन को प्रेषित अभ्यावेदन में मुख्यत: लेख किया कि उनका **4** वर्ष **6** माह में उक्त स्थानांतरण तीसरा है, एवं वे स्टेट फारेस्ट रेंज आफीसर्स

कक्ष/कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

(राजपत्रित) एशोसिएशन मध्यप्रदेश जिला सिंगरौली के अध्यक्ष भी है। राज्य सरकार के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार प्रार्थी संघ का पदाधिकारी होने के कारण स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय अनुसार अग्रिम आदेश तक यथावत रखा जाय एवं माता पिता की देखभाल करने हेतु उक्त स्थानांतरण निरस्त कर वर्तमान पदस्थिति परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली में रखने की कृपा करें।

5/ परीक्षण करने पर पाया गया कि श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल की परिवीक्षा पूर्ण होने पर उन्हें शासन आदेश दिनांक **01/04/2021** द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी सोन घडियाल अभ्यारण्य संजय टाईगर रिजर्व सीधी से परिक्षेत्र अधिकारी धूलकोट, सामान्य वनमंडल बुरहानपुर के पद पर पदस्थ किया गया था, उक्त पदस्थापना स्थानांतरण की श्रेणी मे नहीं है। राज्य शासन के आदेश दिनांक **05/10/2022** द्वारा श्री मिश्रा को विशेष कर्तव्य, सामान्य वनमंडल बुरहानपुर से परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली में पदस्थ किया गया। उक्त पदस्थापना के **2** वर्ष **8** माह पश्चात शासन आदेश दिनांक **17/06/2025** द्वारा श्री हर्षित मिश्रा को परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली से परिक्षेत्र अधिकारी संजय टाईगर रिजर्व सीधी में पदस्थ किया गया है।

6/ राज्य शासन की स्थानांतरण नीति **2025** अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि **3** वर्ष में ही स्थानांतरण किया जावे. प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर **3** वर्ष के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकता है। श्री मिश्रा का गृह जिला आजमगढ, उ.प्र. है, अतः सिंगरौली/सीधी दोनो स्थानों से गृह जिले की दूरी बराबर है। नवीन पदस्थापना परिक्षेत्र अधिकारी संजय टाइगर रिजर्व सीधी में की गई है, जो कि वर्तमान पदस्थापना परिक्षेत्र अधिकारी माडा, सामान्य वनमंडल सिंगरौली के पास है, जिससे श्री मिश्रा को पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफीसर्स (राजपत्रित) एशोसिएशन मध्यप्रदेश को स्थानांतरण से छूट हेतु मान्यता प्राप्त होने को कोई अभिलेख नहीं है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **01/07/2025** पूर्ण विचारोपरान्त अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 12-08-2025
09:15:06

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0027/2025-Sec-1-10(FOR),** भोपाल दिनांक **12-08-2025**

प्रतिलिपि:-

1.सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

2.स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल.

4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश, को अग्रेषित कर लेख है कि श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल को तत्काल भारमुक्त करने का कष्ट करे। ।

7.श्री हर्षित मिश्रा द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल को अग्रेषित कर लेख है कि तत्काल भारमुक्त होवे.

8. श्री श्रीमती पुष्पा सिंह, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल</u>

पृ.क्र./प्रशा–II/स्था–3/व.क्षे.कक्ष/4397 भोपाल, दिनांक 12/08/2025

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृप्या वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक संजय टाईगर रिजर्व सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्री हर्षित मिश्रा, वनक्षत्रेपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्रीमती पुष्पा सिंह, वनक्षेत्रपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक वृत्त भोपाल/छतरपुर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12/08/25

(कमलिका मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा–II)
मध्यप्रदेश भोपाल